न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 14 / 2014

मोहनीदेवी पुत्री स्व. झूंथाराम जाति बलाई निवासी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादीया

बनाम

1. भूदाराम पुत्र स्व. झूंथाराम
2. चन्द्राराम पुत्र स्व. झूंथाराम
3. पानादेवी पत्नी स्व. मन्नाराम
4. राजूदेवी पुत्री स्व. मन्नाराम
5. गीतादेवी पुत्री स्व. मन्नाराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. भगवानाराम पुत्र सन्तोषदेवी पुत्री मन्नाराम पत्नी जीताराम
7. जस्सूराम पुत्र सन्तोषदेवी पुत्री मन्नाराम पत्नी जीताराम
8. कल्याणमल पुत्र सन्तोषदेवी पुत्री मन्नाराम पत्नी जीताराम
9. ताराचंद पुत्र सन्तोषदेवी पुत्री मण्नाराम पत्नी जीताराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम तिड़ोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
10. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:निर्णयः– **दिनांक–14.05.2018**

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कियह कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 225 रकबा 4.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 234 रकबा 5.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 13.57 हैक्टेयर, वाके ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढच जिला सीकर में अवस्थित है।

यह कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह कि वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात पैतृक आराजियात है, जिसकी खातेदारी पूर्व में वादिया के पिता झूझा पुत्र ईशरा के नाम से खातेदारी में दर्ज रही है वादीया अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ व उनकी मृत्यु के बाद उनके वैद्य उतराधिकारी के रुप में वादग्रस्त भूमियों पर काबिजकाश्त चली आ रही है।

यह कि वादिया ग्रामीण परिवेश की पर्दानशीन वृद्ध महिला है एवं प्रतिवादीगण चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने वादिया का हक, हिस्सा हड़पने के आशय से वादिया के पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरकरण (नामान्तरकरण संख्या 1514) अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लिया उक्त नामान्तरकरण विधि एवं नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पति है, जो वादिया को उत्तराधिकार में मिली है, वादग्रस्त भूमियों में वादिया का 1/16 हक, हिस्सा है एवं उक्त भूमियों पर वादिया काबिजकाश्त चली आ रही है, इस कारण वादिया को वादग्रस्त भूमियों 1/16 पैतृक हक, हिस्से की काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वादग्रस्त भूमि में मेरा 1/16 पैतृक हक, हिस्सा है, जो मेरे नाम दर्ज करवा दो, प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे, परन्तु दिनांक 20.02.2014 को खातेदारी दर्ज करवाने से इन्कार हो गये, इन्कारी के दिन से वादकारण पैदा होकर उपरोक्त उनवानी दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि खातेदार सन्तोषदेवी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 हैं। यह कि वादग्रस्त भूमियां ग्राम मंगलूणा की सीमा में अवस्थित होने के कारण दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होकर वाद सावधि पूर्व न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादिया/प्रार्थीया है– (क) कि वाद वादिया डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 225 रकबा 4.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 5.86 हैक्टेयर खसरा नम्बर 458 रकबा 1.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.15 हैक्टेयर, कुल खसरा नम्बर–5 कुल रकबा 13.57 हैक्टेयर, वाके मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, में वादिया को 1/16 पैतृक हक, हिस्से का

Web Copy Not Official

काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं वर्तमान खाता निरस्त किया जावे। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बलात् बेदखल करने से, वादग्रस्त आराजी को विक्रय, रहन व अन्य हस्तानान्तरण करने, करवाने से सदैव के लिए बाज रहें। (ग) यह कि खर्चा मुकदमा एवं अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलवायी जाये।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 6 ता 9 पर विधिवत तामील होने पर उपस्थित नहीं होन पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ता 5 कि ओर से उनके अभिभाषक अलग–अलग उपस्थित आने पर उक्त को बार–बार जवाबदेही का अवसर दिया गया परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर उक्त की जवाबदेही बंद की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। केम्प स्थल पर प्रकरण में उभयपक्ष सहमत होकर वादिया स्वयं व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 स्वयं उपस्थित होकर व प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 कि ओर से प्रतिवादी सं. 6 भगवानाराम उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें उभयपक्ष ने सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक वाद पत्र में अंकित अनुतोष के वादिया का वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही वादिया के पिता स्व. झूंथाराम का वारिस प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत, मंगलूणा द्वारा पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादिया का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ःआदेशः–

अतः वादिया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजियात खसरा नम्बर 225 रकबा 4.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 5.86 हैक्टेयर खसरा नम्बर 458 रकबा 1.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.15 हैक्टेयर, कुल खसरा नम्बर–5 कुल रकबा 13.57 हैक्टेयर, वाके मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, में वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर उक्त आराजियात में वादिया को 1/16 हक, हिस्से का काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाते में खातेदार ग्राम पंचायत, मंगलूणा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार रहेंगे। उक्त वारिस प्रमाण–पत्र व राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट मंगलूणा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

मोहनी देवी बनाम भूदाराम आदि

<u>दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा नम्बर :– 14/2014 **निर्णय दिनांक– 14.05.2018**

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादिया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजियात खसरा नम्बर 225 रकबा 4.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 5.86 हैक्टेयर खसरा नम्बर 458 रकबा 1.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.15 हैक्टेयर, कुल खसरा नम्बर–5 कुल रकबा 13.57 हैक्टेयर, वाके मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, में वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर उक्त आराजियात में वादिया को 1/16 हक, हिस्से का काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाते में खातेदार ग्राम पंचायत, मंगलूणा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार रहेंगे। उक्त वारिस प्रमाण–पत्र व राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 14.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official